

भारत में कानूनी बहुलवाद: पर्सनल लॉ और संवैधानिक समानता का एक महत्वपूर्ण अध्ययन

सतीश सिंह

शोधार्थी

डॉ. रोहितास मीना

एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, पी. के. यूनिवर्सिटी, शिवपुरी (म.प्र.)

सारांश

यह रिसर्च स्टडी भारत में कानूनी बहुलता का असेसमेंट करती है, साथ ही पर्सनल लॉ और संवैधानिक समानता पर उनके असर की स्टडी भी करती है। भारतीय समाज का कई धर्मों और कई संस्कृतियों वाला नेचर अलग-अलग पर्सनल लॉ बनाने की ओर ले जाता है, जिनका पालन अलग-अलग समुदाय ऐतिहासिक और सामाजिक वजहों से करते हैं। रिसर्च यह जांचती है कि हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई पर्सनल लॉ और पारसी पर्सनल लॉ समय के साथ कैसे बने, साथ ही संवैधानिक सिस्टम से उनके कनेक्शन की भी जांच करती है। यह सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों के ज़रिए यह भी एनालाइज़ करती है कि न्यायपालिका धार्मिक आज़ादी और समानता के सिद्धांतों को कैसे बैलेंस करने की कोशिश करती है। रिसर्च का नतीजा यह है कि संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय को मज़बूत करने के लिए भविष्य में पर्सनल लॉ में धीरे-धीरे और सबको साथ लेकर चलने वाले सुधार ज़रूरी हैं।

मुख्य शब्द: कानूनी बहुलवाद, व्यक्तिगत कानून, संवैधानिक समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, समान नागरिक संहिता।

1. परिचय और वैचारिक रूपरेखा

कानूनी बहुलवाद की अवधारणा

अलग-अलग कानूनी सिस्टम को एक ही गवर्नेंस फ्रेमवर्क (और बदले में, एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर) के अंदर एक साथ रखना, असल में लीगल प्लूरलिज़्म कहलाता है। भारत जैसे मल्टीकल्चरल और मल्टी-रिलीजियस समाज में लीगल प्लूरलिज़्म का खास महत्व है, जहाँ अलग-अलग कम्युनिटी के पारिवारिक और सोशल मामलों को अलग-अलग पर्सनल लॉ कंट्रोल करते हैं। शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना और मेंटेनेंस जैसे मामले मुख्य रूप से धार्मिक परंपराओं, सामाजिक प्रथाओं और कम्युनिटी की मान्यताओं से प्रभावित होते हैं। इसलिए, भारतीय लीगल सिस्टम में स्टैच्युटरी लॉ, कस्टमरी लॉ और धार्मिक नियमों के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले दिखता है¹।

¹एम.पी. जैन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 8th एडिशन, लेक्सिसनेक्सिस, नई दिल्ली, 2018, पेज 1425.

भारत में कानूनी बहुलता को देश की सामाजिक विविधता और धार्मिक आज़ादी को बनाए रखने का एक ज़रूरी तरीका माना जाता है। पारिवारिक रिश्तों और अपने-अपने समुदायों के कानूनी अधिकारों पर असर डालने वाले पर्सनल लॉ, पारिवारिक रिश्तों और कानूनी अधिकारों को कंट्रोल करने के लिए देश का कानून है। **उदाहरण** के लिए, हिंदू समुदाय के लिए विवाह से संबंधित नियम, विरासत और गोद लेने के अधिकारों को अलग-अलग कानूनों के ज़रिए कोडिफ़ाई किया गया है। जैसे **हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956**, और **हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956**। इसी तरह, मुस्लिम समुदाय के व्यक्तिगत मामलों को **मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937** के माध्यम से मुख्य रूप से इस्लामी कानून के सिद्धांतों द्वारा शासित किया गया है। ईसाई और पारसी समुदायों पर भी विशेष कानून लागू होते हैं, जैसे **भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872** और **पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936**।

इस तरह, लीगल प्लूरलिज़्म का मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नागरिकों की निजी ज़िंदगी से जुड़े मामलों को रेगुलेट किया जाता है, साथ ही कल्चरल डाइवर्सिटी और धार्मिक ऑटोनॉमी को भी बनाए रखा जाता है। जो सिस्टम समाज की डाइवर्सिटी की रक्षा करता है, उसमें नागरिकों के बीच बराबरी और न्याय के मामले भी होते हैं।

भारत में पर्सनल लॉ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय पर्सनल लॉ का ऐतिहासिक विकास एक बड़े ऐतिहासिक प्रोसेस से हुआ है। पुराने और पुराने समय में, लोग अपने सामाजिक और पारिवारिक कामों को मैनेज करने के लिए धार्मिक ग्रंथों और पारंपरिक रीति-रिवाजों का इस्तेमाल करते थे। हिंदू लॉ धर्मशास्त्रों और स्मृतियों और सामाजिक रीति-रिवाजों पर आधारित है जो शादी, विरासत और पारिवारिक रिश्तों को बताते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्लामी कानून के ज़रिए विकसित हुए, जिसने कुरान और हदीस और अलग-अलग कानूनी मतलबों पर अपनी कानूनी नींव रखी २।

कॉलोनियल समय के दौरान, ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज की धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए पर्सनल लॉ में सीमित दखल की पॉलिसी अपनाई। ब्रिटिश कोर्ट ने तय किया कि हिंदू मामलों में हिंदू लॉ और मुसलमानों में मुस्लिम लॉ लागू होगा। समय के साथ, ब्रिटिश जजों ने इन धार्मिक कानूनों का कानूनी मतलब निकालना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में **एंग्लो-हिंदू** और **एंग्लो-मोहम्मडन** कानूनी सिस्टम बने।

इस समय में कुछ ज़रूरी समाज सुधार कानून भी बने, जिनका मकसद समाज में फैली बुरी आदतों को कंट्रोल करना था। इसके खास उदाहरणों में **हिंदू विधवाओं का दोबारा शादी करने का एक्ट 1856** और **बाल विवाह रोकने का एक्ट 1929 शामिल हैं**। आज़ादी के बाद, भारतीय संसद ने हिंदू पर्सनल लॉ में बड़े सुधार किए, ताकि उन्हें आज के संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से बनाया जा सके।

संवैधानिक समानता की अवधारणा

भारतीय संविधान बराबरी को शासन का एक बुनियादी आधार मानता है। संविधान के **आर्टिकल 14, 15** और 21 नागरिकों को कानून के सामने बराबरी का अधिकार, **भेदभाव पर रोक, और जीवन और निजी आज़ादी की सुरक्षा की गारंटी**

२पारस दीवान, मॉडर्न हिंदू लॉ, 21वां एडिशन, इलाहाबाद लॉ एजेंसी, फरीदाबाद, 2019, पेज 5.

देते हैं। आर्टिकल 25 नागरिकों को धर्म की आज़ादी का अधिकार भी देता है , जो उन्हें अपने धर्म को मानने , मानने और फैलाने की इजाज़त देता है।

यह संवैधानिक ढांचा बराबरी और धार्मिक आज़ादी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। हालांकि नागरिकों को अपनी धार्मिक परंपराओं को मानने की आज़ादी दी गई है , लेकिन यह आज़ादी संविधान द्वारा बनाए गए **न्याय, बराबरी और सम्मान के सिद्धांतों के अधीन है** । इसके अलावा, संविधान का आर्टिकल 44 राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करने का निर्देश देता है। यह नियम संविधान के लंबे समय के मकसद को दिखाता है: सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बनाना ³¹।

उद्देश्य और अध्ययन के क्षेत्र

इस स्टडी का मुख्य मकसद भारत में लीगल प्लूरलिज़्म के कॉन्सेप्ट को एनालाइज़ करना और यह समझना है कि पर्सनल लॉ का सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल इकालिटी के प्रिंसिपल से कैसे जुड़ा है। यह रिसर्च अलग-अलग पर्सनल लॉ सिस्टम के स्ट्रक्चर , उनके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ से उनके रिश्ते की क्रिटिकली जांच करती है।

स्टडी का एक और मकसद एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर देश में कई पर्सनल लॉ होने से होने वाली मुश्किलों को समझना है। कोर्ट के फैसलों , कानूनी सुधारों और जानकारों की राय के एनालिसिस के ज़रिए, यह रिसर्च यह पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या कानूनी प्लूरलिज़्म सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देता है या नागरिकों के बीच कानूनी गैर-बराबरी को बढ़ावा देता है।

धर्म/समुदाय	प्रमुख व्यक्तिगत कानून	मुख्य क्षेत्र (विषय)	संवैधानिक प्रासंगिकता
हिंदू समुदाय (जिसमें बौद्ध , जैन और सिख शामिल हैं)	हिंदू मैरिज एक्ट, 1955; हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956; हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956; हिंदू माइनोंरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956	विवाह , तलाक , उत्तराधिकार , गोद लेना , संरक्षकता	संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के सिद्धांत के अधीन
मुस्लिम समुदाय	मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937; मुस्लिम विवाह विच्छेद एक्ट, 1939	विवाह , तलाक , भरण-पोषण , उत्तराधिकार	धार्मिक स्वतंत्रता के तहत सुरक्षित , लेकिन संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर न्यायिक समीक्षा संभव
ईसाई समुदाय	इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872; इंडियन डिवोर्स एक्ट, 1869	विवाह और तलाक	संवैधानिक समानता के सिद्धांतों के तहत सुधार की संभावना

³¹एचएम सीरवाई , भारत का संवैधानिक कानून, 4था संस्करण , यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, नई दिल्ली, 2015, खंड 3, पृष्ठ 2950।

पारसी समुदाय	पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936	विवाह और तलाक	भारतीय संवैधानिक ढांचे के भीतर संचालित
अंतर-धार्मिक/धर्मनिरपेक्ष विवाह	विशेष विवाह अधिनियम, 1954	किसी भी धर्म के व्यक्तियों के बीच सिविल विवाह	समान नागरिकता के सिद्धांतों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम
संवैधानिक ढांचा	भारत का संविधान (अनुच्छेद 14, 15, 25, 44)	समानता, गैर-भेदभाव, धार्मिक स्वतंत्रता, समान नागरिक संहिता	कानूनी बहुलवाद और संवैधानिक समानता के बीच संतुलन बनाता है

टेबल 1: भारतीय कानूनी सिस्टम में पर्सनल लॉ का स्ट्रक्चर

2. भारत में पर्सनल लॉ का ऐतिहासिक विकास

(क) प्राचीन भारत में व्यक्तिगत कानूनों की पृष्ठभूमि

भारत में पर्सनल लॉ का रिवाज बहुत पुराना है और यह मुख्य रूप से धर्म, सामाजिक रीति-रिवाजों और परंपराओं पर आधारित रहा है। पुराने हिंदू समाज में, परिवार और सामाजिक रिश्ते धर्मशास्त्रों और स्मृतियों से चलते थे। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति जैसे ग्रंथों में शादी, विरासत, प्रॉपर्टी के अधिकार और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़े नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। उस समय, कानून का नेचर धर्म और सामाजिक व्यवहार से गहराई से जुड़ा हुआ था, और इसलिए, इसे "धर्म-आधारित कानून" कहा जाता था।

मिडिल एज में भारत में मुस्लिम राज की स्थापना के साथ, इस्लामिक कानून का असर भी बढ़ा। मुस्लिम समुदाय के लिए शरिया-आधारित नियम लागू किए गए, जिसमें शादी (निकाह), तलाक, विरासत, **मेटेनेंस और पारिवारिक संबंधों से जुड़े नियम शामिल थे**। इस तरह, भारत में अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ बने, जिससे कानूनी तौर पर कई तरह के लोग एक साथ आए।

(ख) औपनिवेशिक काल और व्यक्तिगत कानूनों का विकास

भारत में पर्सनल लॉ का मॉडर्न रूप मुख्य रूप से कॉलोनियल पीरियड के दौरान डेवलप हुआ। जब अंग्रेजों ने भारत में राज किया, तो उन्हें अलग-अलग धार्मिक समुदायों पर लागू होने वाले अलग-अलग कानूनी सिस्टम का सामना करना पड़ा। शुरू में, ब्रिटिश शासकों ने धार्मिक और पारिवारिक मामलों में स्थानीय परंपराओं और धर्म पर आधारित कानूनों को लागू करने की पॉलिसी अपनाई।

ब्रिटिश कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम कानून को सिस्टम से जोड़ने और उनके आधार पर कानूनी फैसले देने के लिए संस्कृत और अरबी-फारसी किताबों की पढ़ाई शुरू की। इस प्रोसेस से "एंग्लो-हिंदू कानून" और "एंग्लो-मोहम्मडन कानून" बने। एंग्लो-हिंदू कानून मुख्य रूप से हिंदू धर्मग्रंथों के मतलब और ब्रिटिश जजों के फैसलों के मेल से बना, जबकि एंग्लो-मोहम्मडन कानून इस्लामिक कानून के सिद्धांतों और ब्रिटिश कानूनी मतलब के मेल से बना।

ब्रिटिश राज ने भी धीरे-धीरे पर्सनल लॉ को कोडिफाई करने की तरफ कदम बढ़ाए। उदाहरण के लिए, **इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872**, और **इंडियन डिवोर्स एक्ट, 1869**, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बनाए गए थे। इसी तरह, **पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, 1936**, पारसी कम्युनिटी के लिए बनाया गया था। इन कानूनों ने शादी और डिवोर्स से जुड़े प्रोसेस को साफ और फॉर्मल बना दिया।

(ग) हिंदू पर्सनल लॉ का विकास

आज़ादी के बाद हिंदू पर्सनल लॉ का मॉडर्न रूप और साफ़ तौर पर सामने आया। आज़ाद भारत में सामाजिक सुधारों और जेंडर इकालिटी को बढ़ावा देने के लिए हिंदू कानून को बड़े पैमाने पर कोडिफाई किया गया। इसके नतीजे में **हिंदू मैरिज एक्ट, 1955**, **हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956**, **हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956**, और **हिंदू माइनोंरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956** जैसे ज़रूरी कानून बने।

, तलाक, विरासत, गोद लेने और गार्जियनशिप से जुड़े नियमों को मॉडर्न और ज़्यादा बराबर बनाया। महिलाओं को अधिकार देना, खासकर विरासत के मामले में, एक बड़ा सुधार माना गया। बाद में, **हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) एक्ट, 2005** ने बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार दिए, जिससे जेंडर इकालिटी को बढ़ावा मिला।

(घ) मुस्लिम विकास, ईसाई और पारसी व्यक्तिगत कानून

मुस्लिम पर्सनल लॉ मुख्य रूप से शरिया सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे भारत में **मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937** के ज़रिए लागू किया गया था। इस कानून ने शादी में शरिया सिद्धांतों को मान्यता दी, तलाक, विरासत और पारिवारिक मामलों में। समय के साथ, अदालतों ने कई ज़रूरी फैसलों में इन सिद्धांतों की व्याख्या की है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार की ओर अग्रसर ⁵¹।

ईसाई समुदाय के लिए विवाह और तलाक कानून औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित किए गए थे, विशेष रूप से **भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872** और **भारतीय तलाक अधिनियम, 1869**। पारसी समुदाय के लिए, **पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936** ने विवाह और तलाक से संबंधित मामलों को नियंत्रित किया।

(ई) समापन टिप्पणी

इस तरह, भारत में पर्सनल लॉ का विकास एक लंबे ऐतिहासिक प्रोसेस का नतीजा है, जिसमें धार्मिक परंपराओं, सामाजिक रीति-रिवाजों और कॉलोनियल नीतियों ने अहम भूमिका निभाई है। पर्सनल लॉ पूरे इतिहास में पुराने धर्मग्रंथों से लेकर कॉलोनियल न्यायिक व्याख्याओं और आज़ाद भारत में हुए कानूनी सुधारों तक बदलते रहे हैं। भारत में कानूनी बहुलवाद का ऐतिहासिक विकास इसी समय तक जाता है।

3. संवैधानिक ढांचा और समानता के सिद्धांत

सरकार अपने नागरिकों को बराबरी और आज़ादी के ज़रूरी अधिकार और सही बर्ताव का अधिकार देती है। भारत में, जहाँ कई धर्म और अलग-अलग कल्चर हैं, देश को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब वह अपने पर्सनल लॉ और अपने

⁴प्लाविया एग्रेस, फैमिली लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2011, पेज 63.

⁵ताहिर महमूद, भारत और विदेश में मुस्लिम कानून, दूसरा संस्करण, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, नई दिल्ली, 2012, पृष्ठ 84।

संवैधानिक कानूनों के बीच कोई समझौता करने की कोशिश करता है। संविधान में कई नियम हैं जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 और आर्टिकल 44 के ज़रिए इस बैलेंस को बनाने में मदद करते हैं। कानूनी सिस्टम इन नियमों के ज़रिए लोगों को बराबर अधिकार और आज़ादी देता है, जो एक ऐसा सिस्टम भी बनाता है जो अलग-अलग धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए सामाजिक न्याय देता है।

(ए) समानता का संवैधानिक सिद्धांत: **अनुच्छेद 14** और **अनुच्छेद 15**

आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का मूल आधार है। सभी नागरिकों को "कानून के सामने बराबरी" और "कानून से बराबर सुरक्षा" की गारंटी देना। इसका मतलब है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाना या भेदभाव वाला बर्ताव नहीं कर सकता। यह नियम पर्सनल लॉ के मामले में खास तौर पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ कभी-कभी बराबरी के नियम के खिलाफ हो सकते हैं⁶।

आर्टिकल 15 इस नियम को और मज़बूत करता है। यह नियम राज्य को धर्म, जाति, लिंग, जन्म की जगह या नस्ल के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। पर्सनल लॉ के मामले में, यह सवाल उठता है कि क्या महिलाओं या दूसरे वर्गों के साथ भेदभाव करने वाला पर्सनल लॉ आर्टिकल 15 का उल्लंघन करता है⁷। इसलिए, कोर्ट ने कई मामलों में यह साफ़ किया है कि पर्सनल लॉ को भी संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से होना चाहिए।

(ख) जीवन और सम्मान का अधिकार: **अनुच्छेद 21**

अनुच्छेद 21 समय के साथ न्यायपालिका ने इस अधिकार की व्यापक व्याख्या करते हुए इसमें सम्मान, समानता और सम्मानपूर्ण जीवन को शामिल किया है।

अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत कानूनों के संदर्भ में महत्व रखता है क्योंकि विवाह, तलाक, मेंटेनेंस और पारिवारिक रिश्ते सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी और इज्जत पर असर डालते हैं⁸। उदाहरण के लिए, कोर्ट ने कई मामलों में माना है कि अगर कोई पर्सनल लॉ किसी व्यक्ति की इज्जत या बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे संवैधानिक आधार पर परखा जा सकता है। इस तरह, आर्टिकल 21 पर्सनल लॉ में सुधार और उन्हें फिर से समझने में अहम भूमिका निभाता है।

(ग) धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत कानून: **अनुच्छेद 25**

आर्टिकल 25 हर नागरिक को धर्म की आज़ादी देता है। यह अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उस पर अमल करने के अधिकार की गारंटी देता है। भारत में पर्सनल लॉ अक्सर धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं से जुड़े होते हैं, इसलिए आर्टिकल 25 पर्सनल लॉ से गहराई से जुड़ा हुआ है⁹।

लेकिन, यह आज़ादी पूरी नहीं है। संविधान यह भी साफ़ करता है कि धार्मिक आज़ादी पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और सेहत के अधीन है। इसका मतलब है कि अगर कोई धार्मिक रिवाज़ सामाजिक न्याय या बराबरी के सिद्धांतों के खिलाफ़ है,

⁶भारतीय संविधान, अनुच्छेद 14.

⁷भारतीय संविधान, अनुच्छेद 15.

⁸भारतीय संविधान, अनुच्छेद 21.

⁹भारतीय संविधान, अनुच्छेद 25.

राज्य दखल दे सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर, अदालतों ने अक्सर अलग-अलग कानूनों की समीक्षा की है और उन्हें संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप लाने की कोशिश की है।

(घ) समान नागरिक संहिता निर्देश: **अनुच्छेद 44**

संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स **ऑफ़ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है**। यह राज्य को देश के सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करने का निर्देश देता है। इसका **मकसद** अलग-अलग धार्मिक समुदायों पर लागू होने वाले अलग-अलग पर्सनल लॉ की जगह एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बनाना है।

लेकिन, आर्टिकल 44 को लागू करना **एक मुश्किल और सेंसिटिव मुद्दा है**, क्योंकि यह धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता से जुड़ा है¹⁰। कई जानकारों का मानना है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जेंडर इकालिटी और सोशल जस्टिस को बढ़ावा दे सकता है, जबकि दूसरे इसे धार्मिक आज़ादी के लिए एक चुनौती के तौर पर देखते हैं। इस तरह, **आर्टिकल 44** भारतीय कानूनी सिस्टम में एक ज़रूरी लेकिन विवादित प्रोविज़न बना हुआ है।

(ई) संवैधानिक नैतिकता और धर्मनिरपेक्षता

भारतीय संविधान का एक ज़रूरी सिद्धांत "संवैधानिक नैतिकता" है। **इसका** मतलब है कि सभी कानून और सामाजिक व्यवहार संविधान के मूल्यों के मुताबिक होने चाहिए—जैसे बराबरी, आज़ादी और न्याय। न्यायपालिका ने कई मामलों में इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया है, और माना है कि अलग-अलग कानूनों को भी संवैधानिक नैतिकता के मुताबिक होना चाहिए।

इसके अलावा, भारत एक सेक्युलर देश है, जिसका मतलब है कि यह देश सभी धर्मों के साथ एक जैसा बर्ताव करता है। सेक्युलरिज़्म का मकसद धार्मिक आज़ादी और सामाजिक बराबरी के बीच बैलेंस बनाना है। इसलिए, भारतीय न्यायपालिका ने कई मामलों में साफ़ किया है कि धार्मिक आज़ादी ज़रूरी है, **लेकिन** यह बराबरी और मानवाधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती।

संवैधानिक अनुच्छेद	मुख्य विषय	व्यक्तिगत विधियों पर प्रभाव
अनुच्छेद 14	कानून के समक्ष समानता	अलग-अलग कानूनों को बराबरी के सिद्धांत के हिसाब से होना चाहिए
अनुच्छेद 15	भेदभाव का निषेध	, लिंग या दूसरे आधार पर अलग-अलग प्रावधानों का रिव्यू मुमकिन है।
अनुच्छेद 21	जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार	, तलाक और पारिवारिक रिश्तों में सम्मान और न्याय पक्का करना
अनुच्छेद 25	धार्मिक स्वतंत्रता	धार्मिक परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों का संरक्षण
अनुच्छेद 44	समान नागरिक संहिता निर्देश	भविष्य में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की संभावना

¹⁰भारतीय संविधान, अनुच्छेद 44.

तालिका 2: संवैधानिक प्रावधान और उनका प्रभाव

4. व्यक्तिगत कानूनों और समानता की न्यायिक व्याख्या

भारतीय न्यायपालिका ने पर्सनल लॉ और संवैधानिक समानता के बीच बैलेंस बनाने में अहम भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर कई मामलों में यह साफ़ किया है कि धार्मिक परंपराओं पर आधारित पर्सनल लॉ भी संविधान के बुनियादी सिद्धांतों, खासकर समानता और न्याय के स्टैंडर्ड को ओवरराइड नहीं कर सकते। कोर्ट के कई ज़रूरी फैसलों ने इस मामले में गाइडेंस दी है।

सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक ¹¹मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि एक मुस्लिम महिला को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के मुताबिक तलाक के बाद भी मेंटेनेंस पाने का अधिकार है, जो उसे यह अधिकार देता है। इस फैसले से यह तय हुआ कि महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के अधिकारों को धार्मिक पर्सनल लॉ से ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हालांकि, इस फैसले से बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी हुई।

सरला मुद्गल बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले में, कोर्ट ने दूसरे धर्म में धर्म बदलकर शादी करने के तरीके पर विचार किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शादी के मकसद के लिए ज़रूरी शर्त के तौर पर किया गया धर्म बदलना कानूनी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का इस्तेमाल यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए किया, जिसके लिए ऐसे कॉमन कानून बनाने की ज़रूरत थी जो अलग-अलग पर्सनल लॉ की वजह से होने वाली कानूनी समस्याओं को हल कर सकें।

शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि "तलाक-ए- बिद्दत " या तीन तलाक की प्रथा भारतीय कानून का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा महिलाओं के अधिकारों और बुनियादी बराबरी के अधिकारों का उल्लंघन करती है। एक और ज़रूरी फैसला शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने "तलाक-ए- बिद्दत " या तीन तलाक की प्रथा को गैर-संवैधानिक बताया। कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा महिलाओं के अधिकारों और बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ़ है। इस फैसले को जेंडर जस्टिस और संवैधानिक नैतिकता की दिशा में एक ज़रूरी कदम माना गया।

राकेश शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून का मतलब यह निकाला कि बेटियों को भी अपने भाइयों के बराबर पैतृक संपत्ति पर अधिकार है। इस फैसले से महिलाओं को संपत्ति पर मालिकाना हक के बेहतर अधिकार मिले, जिससे जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा मिला।

इस तरह, अपने फैसलों के ज़रिए, ज्यूडिशियरी ने यह पक्का करने की कोशिश की है कि अलग-अलग कानून संविधान के मुख्य मूल्यों—बराबरी, न्याय और सम्मान—के मुताबिक हों। भारत में कानूनी बहुलता और संवैधानिक बराबरी के बीच बैलेंस बनाए रखने में कोर्ट की यह एक्टिव भूमिका बहुत ज़रूरी रही है।

¹¹मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, एआईआर 1985 एससी 945।

5. भारत में लीगल प्लूरलिज़्म के लिए चुनौतियाँ

प्लूरलिज़्म का मतलब है कि अलग-अलग धार्मिक और कल्चरल कम्युनिटी पर अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू होते हैं। यह सिस्टम भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी और धार्मिक आज़ादी को दिखाता है , लेकिन यह बड़ी चुनौतियाँ भी खड़ी करता है। खास तौर पर, जेंडर इनइक़ालिटी , माइनोंरिटी राइट्स की चिंताएँ , सोशियो-पॉलिटिकल बहसों, और एक जैसे कानूनी स्टैंडर्ड लागू करने में आने वाली मुश्किलें इस सिस्टम में बड़ी समस्याएँ मानी जाती हैं।

पहली चुनौती लैंगिक असमानता पारंपरिक रीति-रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं की वजह से कई पर्सनल लॉ महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए , शादी , तलाक , **विरासत और गुज़ारे के मामलों में महिलाओं को अक्सर नुकसान होता देखा गया है** । हालांकि न्यायपालिका और विधायिका ने समय-समय पर सुधार के कदम उठाए हैं , फिर भी अलग-अलग पर्सनल लॉ में बराबरी लाना एक मुश्किल काम है।

दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती अल्पसंख्यक अधिकारों की चिंताएँ भारत एक कई धर्मों वाला समाज है , जहाँ अलग-अलग समुदाय अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखना चाहते हैं। जब पर्सनल लॉ में सुधार या यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर बात होती है , **तो कुछ समुदायों को डर लगता है कि इससे उनकी धार्मिक परंपराएँ और सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ सकता है।** इसलिए, कानूनी सुधारों के लिए एक संतुलित तरीका अपनाना ज़रूरी है , ताकि बराबरी और धार्मिक आज़ादी दोनों सुरक्षित रहें।

तीसरी चुनौती सामाजिक और राजनीतिक बहस पर्सनल लॉ और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मुद्दा अक्सर पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल विवाद का विषय बन जाता है। अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ और सोशल ऑर्गनाइज़ेशन इस विषय पर अलग-अलग राय रखते हैं। कुछ इसे सोशल रिफ़ॉर्म और जेंडर जस्टिस के लिए ज़रूरी मानते हैं , जबकि दूसरे इसे धार्मिक आज़ादी में दखल मानते हैं। इस स्थिति की वजह से कानूनी सुधार की प्रक्रिया में देरी होती है। एक जैसे कानूनी स्टैंडर्ड लागू करने में प्रैक्टिकल मुश्किलें दूसरा पॉइंट सिस्टम के लिए एक बड़ी रुकावट है। भारत का सोशल स्ट्रक्चर एक अलग-अलग तरह के सिस्टम के तौर पर मौजूद है क्योंकि अलग-अलग कम्युनिटी अलग-अलग परंपराएँ और सोशल रीति-रिवाज बनाए रखती हैं। एक स्टैंडर्ड कानूनी सिस्टम बनाना , जिसे असरदार तरीके से लागू करने की ज़रूरत है, देश के लिए कई चुनौतियाँ पेश करता है।

भारत में कानूनी तौर पर अलग-अलग तरह के लोगों का होना सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक आज़ादी को दिखाता है। लेकिन, इस स्थिति से ऐसे मुश्किल मुद्दे पैदा होते हैं जिनमें बराबरी शामिल है, न्याय, और एक जैसे कानूनी स्टैंडर्ड की ज़रूरत। भविष्य के कानूनी सुधारों को एक संतुलित रास्ता अपनाने की ज़रूरत है जो संवैधानिक सिद्धांतों और समाज के अलग-अलग सामाजिक ढांचे, दोनों की रक्षा करेगा।

6. भविष्य की संभावनाएं और निष्कर्ष

भारत के लीगल सिस्टम और इसके पर्सनल लॉ सिस्टम पर कई सोशल ग्रुप्स, धार्मिक ग्रुप्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स लंबे समय से बहस कर रहे हैं। यह सिस्टम देश की कल्चरल और धार्मिक विविधता को दिखाता है, लेकिन यह कई ऐसे मुद्दे भी खड़े करता है जो बराबरी, जेंडर जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स से जुड़े हैं। आने वाले पर्सनल लॉ सुधारों को यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के संभावित इम्प्लीमेंटेशन के साथ इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है।

सबसे पहले , अलग-अलग तरीकों में सुधार करें। पर्सनल लॉ की ज़रूरत पर ध्यान देना ज़रूरी है। समय के साथ, समाज में सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुए हैं , जिससे पारंपरिक कानूनों में बदलाव ज़रूरी हो गए हैं। कई सुधार ज़रूरी हैं, खासकर महिलाओं के अधिकार , जेंडर इकालिटी और फैमिली जस्टिस के एरिया में। पिछले कुछ दशकों में, ज्यूडिशियरी और लेजिस्लेचर ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं , जिससे यह साफ़ हो गया है कि पर्सनल लॉ एक जैसे नहीं रहते, **बल्कि** समय के साथ बदलते रहते हैं ¹²।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न **यह सवाल यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड** की संभावना से जुड़ा है । भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को सभी नागरिकों के लिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करने का निर्देश देते हैं। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मकसद शादी , तलाक़ , विरासत और गुज़ारे जैसे पारिवारिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून बनाना है। कई जानकारों का मानना है कि इससे जेंडर इकालिटी और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा।

हालाँकि , इस मामले में यह भी ज़रूरी है कि किसी भी तरह का कानूनी बदलाव धीरे-धीरे और समावेशी रूप से किया जाना चाहिए। भारत जैसे कई धर्मों और कई कल्चर वाले समाज में, अचानक और बड़े पैमाने पर होने वाले बदलाव सामाजिक तनाव पैदा कर सकते हैं। इसलिए, अलग-अलग समुदायों , कानूनी जानकारों और सामाजिक संगठनों के बीच बातचीत और आम सहमति का एक प्रोसेस बनाना ज़रूरी है। ऐसा सबको साथ लेकर चलने वाला तरीका कानूनी सुधारों को ज़्यादा असरदार और मंज़ूर बना सकता है।

इसके अलावा , पॉलिसी लेवल पर कुछ ज़रूरी सुझाव भी दिया जा सकता है। पहला , **अलग-अलग कानूनों में सुधार करते समय** संवैधानिक मूल्यों—खासकर समानता , स्वतंत्रता और इंसानी गरिमा—को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा , कानूनी जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए **ताकि** नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में ज़्यादा जागरूक हों। तीसरा , न्यायपालिका और विधायिका के बीच तालमेल से ऐसे सुधार लागू किए जा सकते हैं **जो** सामाजिक न्याय को मज़बूत करें।

आखिर में, यह कहा जा सकता है कि भारत में कानूनी बहुलवाद और पर्सनल लॉ का सिस्टम एक मुश्किल लेकिन ज़रूरी मुद्दा है। भविष्य में, यह ज़रूरी होगा कि कानूनी सुधारों की प्रक्रिया में संवैधानिक मूल्यों , सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक विविधता के बीच संतुलन बनाया जाए। इसी संतुलन से एक ऐसा कानूनी सिस्टम बनाया जा सकता है **जो** सभी नागरिकों के लिए न्याय , **बराबरी और सम्मान पक्का करे।**

ग्रंथ सूची

1. एम.पी. जैन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 8th एडिशन , लेक्सिसनेक्सिस, नई दिल्ली, 2018, पेज 1425.
2. पारस दीवान, मॉडर्न हिंदू लॉ, 21वां एडिशन , इलाहाबाद लॉ एजेंसी, फरीदाबाद, 2019, पेज 5.
3. एचएम सीरवाई , भारत का संवैधानिक कानून, 4था संस्करण , यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, नई दिल्ली, 2015, खंड 3, पृष्ठ 2950।
4. फ्लाविया एग्रेस, फैमिली लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2011, पेज 63.

¹²भारतीय विधि आयोग, पारिवारिक कानून में सुधार पर परामर्श पत्र, 2018, पृष्ठ 12।

5. ताहिर महमूद, भारत और विदेश में मुस्लिम कानून, दूसरा संस्करण, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, नई दिल्ली, 2012, पृष्ठ 84।
6. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 14.
7. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 15.
8. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 21.
9. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 25.
10. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 44.
11. मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, एआईआर 1985 एससी 945।
12. सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, एआईआर 1995 एससी 1531।
13. शायरा बानो बनाम भारत संघ, (2017) 9 एससीसी 1
14. विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, (2020) 9 एससीसी 1।
15. भारतीय विधि आयोग, पारिवारिक कानून में सुधार पर परामर्श पत्र, 2018, पृष्ठ 12।